

न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकार...  
आदेश अनुसार आगामी नियत दिनांक... 06/02/24...  
को पेश हो।

आदेशानुसार  
रीडर  
उपरवण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

C/N - 54/2023

06/02/24 पत्रावली पेश हुई। वकील शशी उप. अधीन  
की ओर से पेशकार सर के प्रतिनिधि उप. जावाबद्वारा  
समय पाए गया।

अतः तत्कालीन किशनगढ़ को पत्र  
पत्रावली पेश करने हेतु पत्रावली पेश  
जाती की जावे।

अतः पत्रावली दि. 04/03/24 को पेश हो।

उपरवण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

04/03/24 पत्रावली पेश हुई। वकील शशी उप.  
वकील शशी द्वारा साक्षर वास्ते तत्कालीन  
करने काबू पेश कर उक्त सा. पत्र में  
आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं,  
अतः शशी का तत्कालीन करने की  
अनुमति प्रदान कर प्रकरण को तत्कालीन  
निरस्त करने का निर्वेदन किया गया।  
अतः वकील शशी द्वारा उक्त तत्कालीन  
नोट प्रेषित किये जाने के कारण शशी  
का शरीरना पत्र इसी स्तर पर थारिज  
किया जाता है। पत्रावली फेसल शुभादेव  
पत्रावली नम्बर के रूप में है।

उपरवण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

Motepress

4/3/2024